कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ. 14( )2014 / बारां रोड्स / एफसीए / प्रमुवसं / 3418 दिनांक 19-11-2020

शासन सचिव
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– Diversion of 2.0 ha. of forest land for construction of road from Ramgarh-Kalapatta road to Kalwala Laxmipura under RRSMP in Raj. in Baran Forest Division. (Proposal no-FP/RJ/ROAD/6988/2014)

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षैत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ का पत्रांक 8बी / राज / 06 / 17 / 2015 / एफ.सी. / 440 दिनांक 01.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालना मुख्य वन संरक्षक, कोटा ने उनके पत्रांक 5390 दि. 03.11.2020 से इस कार्यालय में प्रेषित की है, जो निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	अधिरापित शर्त	अनुपालना
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत् वनभूमि की वैद्यानिक स्थिति में कोई परिर्वतन नही किया जायेगा। इस संदर्भ में यूजर एजेन्सी द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की हैं। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.0 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित कर दी गई हैं। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न हैं।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.0 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.0 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि 2.0 है0 164100 / – रू. प्रति है0 की दर से राशि 328200 / – रू0 कैम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चाला द्वारा कॉरपोरेशन बैंक में ऑनलाई जमा करा दी गई हैं। प्रति संलग्न हैं। प्रकरण यूजर एजेन्सी द्वारा 2.0 है0 गैर वनभूमि विभाग के नाम आवंटित कर दी गई हैं। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न हैं।
3.	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए. सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्रांक 5–3 / 2007– एफसी दि. 5.2.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रू. (2.0 ha. X Rs 6.26 Lac Per ha.) की दर से राशि रूपये 12,52,000 / – लाख केम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।	शर्त संख्या 3 की पालना में माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई.ए. सं. 566 एवं भारत सरकार के पत्रांक 5–3 / 2007– एफसी दि. 5.2.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रू. (2.0 ha. X Rs 6.26 Lac Per ha.) की दर से राशि रूपये 12,52,000 / – लाख केम्पा, नई दिल्ली में जमा की दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कॉरपोरेशन बैंक में ऑनलाईन जमा करा दी गई हैं। प्रति संलग्न हैं। ......P.T.O.

	(ख) इसके उपरांत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एनपीवी हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाये। (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की धनराशि में बढोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	(ख) ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम ... धनराशि की ऑनलाईन रसीद की छा... हैं। (ग) शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) की दरों में बढोतरी होने पर बड़ी हुई धनराशि के भुगतान को जमा कराने के संबंध में यूजर एजेन्सी की अण्डरटेकिंग संलग्न हैं।
4.	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जावेगा। अक्षांश एवं देशांतर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वनक्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।	शर्त संख्या 4 के तहत् विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जावेगा। अक्षांश एवं देशांतर भी मानचित्र एवं पिलर पर दर्शाया जायेगा और वनक्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (Backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी संबंध में यूजर एजन्सी द्वारा अण्डर टेकिंग संलग्न हैं।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन नही किया जावेगा।	शर्त संख्या 5 के तहत् सैद्धान्तिक स्वीकृति के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन नही करने की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई हैं। प्रति संलग्न हैं।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालना करेगी।	शर्त संख्या 6 के तहत् प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालना करने के संबंध में यूजर एजेन्सी की अण्डर टेकिंग संलग्न हैं।
7.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में कैम्पा मद में जमा करायी जाने वाली राशि की राज्य सरकार स्वीकृत व साख सीमा माह अप्रेल–2019 में प्राप्त हुई हैं। इस कारण पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी हुई। कैम्पा मद में राशि जमा कराने के पश्चात उप वन संरक्षक, बारां के पत्र क्रमांक 116 दिनांक 25.04.2019 के द्वारा अनुपालना त्रुटि पूर्ण कर भिववा दी गई थी। प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति के बाद वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ हैं।

उपरोक्तानुसार प्राप्त अनुपालना रिपोर्ट 2 प्रति में संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि एक प्रति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्नः– उक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ. गोबिन्द सागर भारद्वाज)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ. 14( )2014/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/ दिनांक
प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षैत्रीय कार्यालय, जयपुर कैम्प कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केम्पा), राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
4. उप वन संरक्षक, बारां।
5. अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–शाहबाद, जिला–बारां।

(पी. सी. कुमावत)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेल:–ccfdp.kota@gmail.com दूरभाष:– 0744–2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2020/ 5390 दिनांक : 03.11.2020

निमितः–

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान जयपुर।

2212
10/11/20

FCA
10/11/2020

विषय: Diversion of 2.0 ha. of forest land for construction of road from Ramgarh-Kalapatta road to Kalwala Laxmipura under RRSMP in Raj. in Baran Forest Division. (Proposal no- FP/RJ/ROAD/6988/2014)

संदर्भ: आपका पत्रांक एफ 14 ( )2014/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुवसं/2520 दिनांक 07.09.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज लखनऊ के पत्रांक 8बी/राज0/06/17/2015/एफ.सी./440 दिनांक 01.10.2018 से जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना उप वन संरक्षक बारां ने पत्रांक 9456 दिनांक 16.10.2020 से प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार है:–

1.	वन भूमि की वैद्यानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैद्यानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। इस सन्दर्भ में यूजर ऐजेन्सी द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की है। प्रकरण यूजर ऐजेन्सी द्वारा 2.0 है. गैर वन भूमि विभाग के नाम आवंटित कर दी गई है। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
2.	प्रयोगता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षैत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 2.0 है0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष प्रभावित वन क्षेत्र के में समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 2.0 है. पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि 2.0 है.164100/– रू. प्रति है. की दर से राशि 328200/– रू. कैम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कॉरपोरेशन बैंक में ऑनालाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर ऐजेन्सी द्वारा 2.0 है. गैर वन भूमि विभाग के नाम आवंटित कर दी गई है। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
3.	**(क)** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रू. (2.0 ha x Rs 6.26 Lac Per ha.) की दर से राशि रूपये **12.52**/–लाख केम्पा मद में जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 3 की पालना में माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीषन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रू. (2.0 ha x Rs 6.26 Lack Per ha.) की दर से राशि रूपये **12.52**/–लाख केम्पा मद में जमा की दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कॉरपोरेशन बैंक में ऑनालाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है।
	(ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गई धनराशी की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन0पी0वी0 हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाये।	(ख) ऑनालईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गई धनराशि की ऑनलाइन रसीद की छाया प्रति संलग्न है
	(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगें की यदि एन0पी0वी0 दर में बढोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जावेगी।	(ग) शुद्व वर्तमान मूल्य (NPV) की दरों में बढोतरी होने पर बडी हुई धनराशि के भुगतान को जमा कराने के संबंध में यूजर ऐजेंसी की अन्डर टेकिंग संलग्न है।

11/11

11/11/2020

A

4.	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षैत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोकता अधिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश व देशान्तर भी मानचित्र व पीलर पर दर्शाया जावेगा और वन क्षैत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (Forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।	शर्त संख्या 4 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षैत्र का सीमा स्तम्भो द्वारा सीमांकन प्रयोकता अधिकरण के व्यय पर किया जावेगा। अक्षांश व देशान्तर भी मानचित्र व पिलर पर दर्शाया जावेगा। वन क्षैत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भो के आगे (Forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी संबंध में यूजर ऐजेन्सी द्वारा अन्डर टेकिंग संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही किया जावेगा।	शर्त संख्या 5 सैद्वान्तिक स्वीकृति के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नही करने की अण्डर टेकिंग प्रस्तुत की गई है। प्रति संलग्न।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।	शर्त संख्या 6 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना करने के संबंध में यूजर ऐजेन्सी की अन्डर टेकिंग संलग्न है।
7.	सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।	सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में कैम्पा मद में जमा करायी जाने वाली राशि की राज्य सरकार स्वीकृत व साख सीमा माह अप्रेल–2019 में प्राप्त हुई है। इस कारण पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी हुई। कैम्पा मद मे राशि जमा कराने के पश्चात इस कार्यालय पत्र क्रमांक 116 दिनांक 25.04.2019 के द्वारा अनुपालना में त्रुटी पूर्ण कर भिजवा दी गई थी। प्रकरण में सैद्वान्तिक स्वीकृति के बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है।

भवदीय

संलग्नः–उपरोक्तानुसार–3 सेट

(मनोज पाराशर)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांकः एफ13(वन संरक्षण) / समुवसं / 2020 /
दिनांक :

प्रतिलिपि :–

1. उप वन संरक्षक बारां को उक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0, खण्ड–शाहबाद, जिला बारां।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No. 07453-230410,

कमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवसं/20-21/ 3456 दिनांक :- 16/10/2020

निमित्तः-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :-Diversion of 2.00ha of forest land for construcation of road from Ramgarh –Kalapatta road to Karwala Laxmipura under RRSMP in Raj .in Baran forest Division .(प्रकरण संख्या FP/RJ/Road/6988/2014)

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ के पत्र कमांक 08-बी/राज/06/17/2015/एफ.सी./440 दिनांक 01.10.2018के कम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। स्वीकृति में अंकित शर्तो की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है।

1.	वन भूमि की वैद्यानिक स्थिति में कोई परिर्वतन नही होगा।	शर्त संख्या 1 के तहत वन भूमि की वैद्यानिक स्थिति में कोई परिर्वतन नही किया जायेगा। इस सन्दर्भ में यूजर ऐजेन्सी द्वारा अन्डर टेकिंग परस्तुत है। प्रकरण यूजर ऐजेन्सी द्वारा 2.0 है. गैर वन भूमि विभाग के नाम आवंटित करदी गई है। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
2.	प्रयोगता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षैत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 2.0 है. पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरो को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 2 की पालना में वन विभाग के पक्ष प्रभावित वन क्षैत्र के में समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 2.0 है. पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि 2.0 है.164100/- रू. प्रति है. की दर से राशि 328200/- रू. कैम्पा नई दिल्ली में दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कॉरपोरेशन बैंक में ऑनालाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। प्रकरण यूजर ऐजेन्सी द्वारा 2.0 है. गैर वन भूमि विभाग के नाम आवंटित कर दी गई है। जमाबन्दी की नकल एवं नामान्तरण की प्रति संलग्न है।
3.	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई. ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी. वी.) की निर्धारित राशि रू. (2.00ha x	शर्त संख्या 3 की पालना में माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि रू. (2.00ha x Rs

	Rs 6.26 Lack Per ha.) की दर से राशि रूपये 12.52/-लाख केम्पा मद में जमा की जायेगी। (ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गई धनराशी की ऑनलाईन की रसीद की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई धन राशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण NPV हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेशित की जाये। (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आश्य का वचनबद्वता प्रमाण पत्र (क्षमस स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेगें की यदि NPV दरो में बडोतरी होती है तो बडी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जावेगी।	6.26 Lack Per ha.) की दर से राशि रूपये 12.52/-लाख केम्पा मद में जमा की दिनांक 23.04.2019 को चालान द्वारा कॉरपोरेशन बैंक में ऑनालाईन जमा करा दी गई है। प्रति संलग्न है। (ख) ऑनालईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गई धनराशि की ऑनलाइन रसीद की छाया प्रति संलग्न है (ग) शुद्व वर्तमान मूल्य (NPV) की दरो में बडोतरी होने पर बडी हुई धनराशि के भुगतान को जमा कराने के संबंध में यूजर ऐजेन्सी की अन्डर टेकिंग संलग्न है।
4.	विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षैत्र का सीमा स्तम्भो द्वारा सीमांकन प्रयोकता अधिकरण के व्यय पर किया जावेगा। अंक्षांश व देशान्तर भी मानचित्र व पिलर पर दर्शाया जावेगा। वन क्षैत्र में लगे प्रत्येक स्म्भ के आगे। (Forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।	शर्त संख्या 4 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षैत्र का सीमा स्तम्भो द्वारा सीमांकन प्रयोकता अधिकरण के व्यय पर किया जावेगा। अंक्षांश व देशान्तर भी मानचित्र व पिलर पर दर्शाया जावेगा। वन क्षैत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भो के आगे। (Forward) एवं पीछे(backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी संबंध में यूजर ऐजेन्सी द्वारा अन्डर टेकिंग संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे की प्रस्तावित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति से पूर्व किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लधन नही किया जावेगा।	शर्त संख्या 5 सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंधन किया जा चुका है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन करेगी।	शर्त संख्या 6 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो की पालना करने के संबंध में यूजर ऐजेन्सी की अन्डर टेकिंग संलग्न है।
7.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुये सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लधन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में कैम्पा मद में जमा करायी जाने वाली राशि की राज्य सरकार स्वीकृत व साख सीमा माह अप्रेल-2019 में प्राप्त हुई है। इस कारण पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी हुई। कैम्पा मद मे राशि जमा कराने के पश्चात इस कार्यालय प्रत्र कमांक

		116 दिनांक 25.04.2019 के द्वारा अनुपालना में त्रुटी पूर्ण कर भिजवा दी गई है। प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति के बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंधन हुआ है।

नोट – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,नई दिल्ली के पत्र कमांक 07-23/2012/एफ/दिनांक 24.01.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में यूजर ऐजेंसी द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की 2 प्रति दैनिक समाचार पत्रों में (हिन्दी व अंग्रेजी) में प्रकाशित करवाकर मूल प्रति में संलग्न है।

संलग्न :- उक्तानुसार।

भवदीय

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

कमांक एफ( ) एफ.सी.ए./उवस/2020-21/ दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.)राजस्थान जयपुर।

2. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहाबाद।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारा